Print News Coverage

Driving without Third-party Insurance Can Cost You More than Just Traffic Police Challan

Publication:	Swarna Delhi	Edition: Print	Published Date: January 30th 2025

थर्ड पार्टी बीमा के बिना ड्राइविंग? ट्रैफिक पुलिस चालान से भी बड़े झटके के लिए रहे तैयार!

नई दिल्ली। अगर आप थर्ड-पार्टी बीमा के बिना सड़क पर अपना वाहन चलाते हैं, तो आपको अपने वाहन की मरम्मत के बिल से कहीं ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। दुर्घटना होने पर आपको किसी दूसरे व्यक्ति, वाहन या प्रॉपर्टी को हुई चोट, जानमाल के नुकसान या क्षति के लिए भी आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और इन खर्चों का बिल लाखों या करोड़ों तक जा सकता है!

किसी भी वाहन मालिक के लिए दुर्घटना अप्रत्याशित खर्च ला सकती है, जैसे कि वाहन की मरम्मत, इलाज का खर्च, या दोनों। अगर आपके पास बीमा नहीं है, तो ये खर्च तब काफी लगते हैं, जब पूरा आर्थिक बोझ आप पर आ जाता है। अगर आपके पास थर्ड-पार्टी बीमा भी नहीं है, तो स्थिति और खराब हो जाती है। ऐसे मामलों में प्रभावित थर्ड पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी मुआवजा, खासकर अगर दुर्घटना आपकी गलती से हुई है, तो आपको अपनी जेब से देना होगा, वो भी अक्सर लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद।

मोटर बीमा पॉलिसी दो तरह की होती हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो आपके अपने वाहन के नुकसान और थर्ड-पार्टी देनदारियों दोनों को कवर करती है। दूसरी है थर्ड-पार्टी बीमा, जो खास तौर पर आपके वाहन से दूसरों को हुई चोट, मौत या प्रॉपर्टी के नुकसान से होने वाले क्लेम को कवर करती है। जहां कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैकल्पिक है, वहीं भारतीय कानून के तहत सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने से पहले थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।

इस कानूनी आवश्यकता के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिकों अभी भी बीमा नहीं कराया है। भारत में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को मोटर बीमा पर जागरूकता और संपर्क प्रयासों को तेज करने की सलाह दी है। रेगुलेटर के अनुसार जागरूकता की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, और भारतीय सड़कों पर 50% से ज्यादा वाहन अभी भी बिना बीमा के हैं।

IRDAI ने इस बात पर भी जोर दिया है कि थर्ड-पार्टी बीमा सिर्फ एक वैधानिक दायित्व नहीं है, बल्कि वाहन मालिकों के लिए एक आवश्यक वित्तीय सुरक्षा कवच है। थर्ड-पार्टी बीमा कैसे काम करता है, और इसे नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, यह समझकर वाहन मालिक या चालक खुद को गंभीर वित्तीय और कानूनी नतीजों से बचा सकते हैं।

थर्ड पार्टी बीमा क्या है?

जैसा कि नाम से पता चलता है, थर्ड पार्टी का मतलब कोई भी व्यक्ति, गाड़ी या प्रॉपर्टी, जिसे आपकी गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में चोट या नुकसान होता है। थर्ड-पार्टी बीमा पॉलिसी में समझौता आपके (फर्स्ट पार्टी) और बीमा कंपनी (सेकंड पार्टी) के बीच होता है, जिसके तहत बीमा कंपनी एक्सीडेंट से प्रभावित थर्ड पार्टी को हुए नुकसान या क्लेम का मुआवजा देती है।

इसको आगे स्पष्ट करते हुए निहारिका सिंह, एक्सेक्यूटिव डायरेक्टर - मार्केटिंग, इफको टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कहा, "थर्ड पार्टी का मतलब है गाड़ी का मालिक या ड्राइवर के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति जैसे पैदल चलने वाले लोग, दूसरी कार में बैठे लोग, या दूसरे दोपहिया पर सवार लोग।"

उन्होंने आगे बताया कि थर्ड-पार्टी पॉलिसी में बीमित गाड़ी को हुए नुकसान को कवर नहीं किया जाता, बल्कि यह पूरी तरह से प्रभावित थर्ड पार्टी को मुआवजा देने पर फोकस करती है। इसमें इलाज खर्च, कोर्ट द्वारा दिया गया मुआवजा और क्लेम का बचाव करने में होने वाला कानूनी खर्च शामिल है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की ऊंची दर को देखते हुए थर्ड-पार्टी बीमा यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है कि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर वित्तीय सहायता मिले।

थर्ड पार्टी बीमा करवाना क्यों अनिवार्य है?

थर्ड-पार्टी मोटर बीमा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक अनिवार्य कवर है। सिंह ने बताया कि यह वाहन मालिकों को बीमित वाहन से जुड़े किसी दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष को चोट, मृत्यु या संपत्ति के नुकसान से होने वाली कानूनी और वित्तीय देनदारियों से बचाता है।

Publication:	Lucky India	Edition:	
Published Date:	January 30th 2025		

थर्ड पार्टी बीमा के बिना ड्राइविंग? ट्रैफिक पुलिस चालान से भी बड़े झटके के लिए रहे तैयार!

नई दिल्ली। अगर आप थर्ड-पार्टी बीमा के बिना सड़क पर अपना वाहन चलाते हैं, तो आपको अपने वाहन की मरम्मत के बिल से कहीं ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। दुर्घटना होने पर आपको किसी दूसरे व्यक्ति, वाहन या प्रॉपर्टी को हुई चोट, जानमाल के नुकसान या क्षति के लिए भी आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और इन खर्चों का बिल लाखों या करोड़ों तक जा सकता है!

किसी भी वाहन मालिक के लिए दुर्घटना अप्रत्याशित खर्च ला सकती है, जैसे कि वाहन की मरम्मत, इलाज का खर्च, या दोनों। अगर आपके पास बीमा नहीं है, तो ये खर्च तब काफी लगते हैं, जब पूरा आर्थिक बोझ आप पर आ जाता है। अगर आपके पास थर्ड-पार्टी बीमा भी नहीं है, तो स्थिति और खराब हो जाती है। ऐसे मामलों में प्रभावित थर्ड पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी मुआवजा, खासकर अगर दुर्घटना आपकी गलती से हुई है, तो आपको अपनी जेब से देना होगा, वो भी अक्सर लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद।

मोटर बीमा पॉलिसी दो तरह की होती हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो आपके अपने वाहन के नुकसान और थर्ड-पार्टी देनदारियों दोनों को कवर करती है। दूसरी है थर्ड-पार्टी बीमा, जो खास तौर पर आपके वाहन से दूसरों को हुई चोट, मौत या प्रॉपर्टी के नुकसान से होने वाले क्लेम को कवर करती है। जहां कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैकल्पिक है, वहीं भारतीय कानून के तहत सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने से पहले थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।

इस कानूनी आवश्यकता के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिकों अभी भी बीमा नहीं कराया है। भारत में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को मोटर बीमा पर जागरूकता और संपर्क प्रयासों को तेज करने की सलाह दी है। रेगुलेटर के अनुसार जागरूकता की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, और भारतीय सड़कों पर 50% से ज्यादा वाहन अभी भी बिना बीमा के हैं।

IRDAI ने इस बात पर भी जोर दिया है कि थर्ड-पार्टी बीमा सिर्फ एक वैधानिक दायित्व नहीं है, बल्कि वाहन मालिकों के लिए एक आवश्यक वित्तीय सुरक्षा कवच है। थर्ड-पार्टी बीमा कैसे काम करता है, और इसे नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, यह समझकर वाहन मालिक या चालक खुद को गंभीर वित्तीय और कानूनी नतीजों से बचा सकते हैं।

थर्ड पार्टी बीमा क्या है?

जैसा कि नाम से पता चलता है, थर्ड पार्टी का मतलब कोई भी व्यक्ति, गाड़ी या प्रॉपर्टी, जिसे आपकी गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में चोट या नुकसान होता है। थर्ड-पार्टी बीमा पॉलिसी में समझौता आपके (फर्स्ट पार्टी) और बीमा कंपनी (सेकंड पार्टी) के बीच होता है, जिसके तहत बीमा कंपनी एक्सीडेंट से प्रभावित थर्ड पार्टी को हुए नुकसान या क्लेम का मुआवजा देती है।

इसको आगे स्पष्ट करते हुए निहारिका सिंह, एक्सेक्यूटिव डायरेक्टर - मार्केटिंग, इफको टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कहा, "थर्ड पार्टी का मतलब है गाड़ी का मालिक या ड्राइवर के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति जैसे पैदल चलने वाले लोग, दूसरी कार में बैठे लोग, या दूसरे दोपहिया पर सवार लोग।"

उन्होंने आगे बताया कि थर्ड-पार्टी पॉलिसी में बीमित गाड़ी को हुए नुकसान को कवर नहीं किया जाता, बल्कि यह पूरी तरह से प्रभावित थर्ड पार्टी को मुआवजा देने पर फोकस करती है। इसमें इलाज खर्च, कोर्ट द्वारा दिया गया मुआवजा और क्लेम का बचाव करने में होने वाला कानूनी खर्च शामिल है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की ऊंची दर को देखते हुए थर्ड-पार्टी बीमा यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है कि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर वित्तीय सहायता मिले।

थर्ड पार्टी बीमा करवाना क्यों अनिवार्य है?

थर्ड-पार्टी मोटर बीमा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक अनिवार्य कवर है। सिंह ने बताया कि यह वाहन मालिकों को बीमित वाहन से जुड़े किसी दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष को चोट, मृत्यु या संपत्ति के नुकसान से होने वाली कानूनी और वित्तीय देनदारियों से बचाता है।

उन्होंने आगे कहा, "थर्ड-पार्टी बीमा को अनिवार्य बनाकर सरकार का लक्ष्य दुर्घटना पीड़ितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना और वाहन मालिकों के बीच जवाबदेही बनाए रखना है।" सिंह का यह भी मानना है कि थर्ड-पार्टी बीमा व्यक्तिगत सुरक्षा से परे एक बड़े सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती है। उन्होंने कहा, "सड़क दुर्घटनाओं से अक्सर गंभीर चोटें, जान का नुकसान और पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए लंबे समय तक वित्तीय कठिनाई होती है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि गलती करने वाले ड्राइवर की वित्तीय क्षमता की परवाह किए बिना मुआवजा उपलब्ध हो।" थर्ड-पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए भारी जुर्माना, कारावास और यहां तक कि वाहन जब्त भी किया जा सकता है।

Publication:	Vimarsh Darpan	Edition:	Print
Published Date:	January 30th 2025		

अड्डा बन जाता है। स्कूल, जो जिज्ञासा और रचनात्मकता को पंख देने का माध्यम होना चाहिए, वह दंड और अपमान का

पारिवारिक अस्थिरता जैसी स्थितियां उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे बच्चों को सबसे अधिक समझ,

स्वीकार्य हैं और उनकी प्रगति का रास्ता उनकी अपनी गति से तय होगा। शिक्षा को अहिंसक दृष्टि से देखना केवल नैतिक

पीढ़ियां केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी संकट का कारण बनती हैं।

थर्ड पार्टी बीमा के बिना ड्राइविंग? ट्रैफिक पुलिस चालान से भी बड़े झटके के लिए रहे तैयार!

अगर आप थर्ड-पार्टी बीमा के बिना सड़क पर अपना वाहन चलाते हैं, तो आपको अपने वाहन की मरम्मत के बिल से कहीं ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। दुर्घटना होने पर आपको किसी दूसरे व्यक्ति, वाहन या प्रॉपर्टी को हुई चोट, जानमाल के नुकसान या क्षति के लिए भी आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और इन खर्चों का बिल लाखों या करोड़ों तक जा सकता है!

किसी भी वाहन मालिक के लिए दुर्घटना अप्रत्याशित खर्च ला सकती है, जैसे कि वाहन की मरम्मत, इलाज का खर्च, या दोनों। अगर आपके पास बीमा नहीं है, तो ये खर्च तब काफी लगते हैं, जब पूरा आर्थिक बोझ आप पर आ जाता है।

अगर आपके पास थर्ड-पार्टी बीमा भी नहीं है, तो स्थिति और खराब हो जाती है। ऐसे मामलों में प्रभावित थर्ड पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी मुआवजा, खासकर अगर दुर्घटना आपकी गलती से हुई है, तो आपको अपनी जेब से देना होगा, वो भी अक्सर लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद।

मोटर बीमा पॉलिसी दो तरह की होती हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो आपके अपने वाहन के नुकसान और थर्ड-पार्टी देनदारियों दोनों को कवर करती है। दूसरी है थर्ड-पार्टी बीमा, जो खास तौर पर आपके वाहन से दूसरों को हुई चोट, मौत या प्रॉपर्टी के नुकसान से होने वाले क्लेम को कवर करती है। जहां कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैकल्पिक है, वहीं भारतीय कानून के तहत सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने से पहले थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।

इस कानूनी आवश्यकता के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिकों अभी भी बीमा नहीं कराया है। भारत में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को मोटर बीमा पर जागरूकता और संपर्क प्रयासों को तेज करने की सलाह दी है।

रेगुलेटर के अनुसार जागरूकता की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, और भारतीय सड़कों पर 50% से ज्यादा वाहन अभी भी बिना बीमा के हैं।

आईआरडीएआई ने इस बात पर भी जोर दिया है कि थर्ड-पार्टी बीमा सिर्फ एक वैधानिक दायित्व नहीं है, बल्कि वाहन मालिकों के लिए एक आवश्यक वित्तीय सुरक्षा कवच है। थर्ड-पार्टी बीमा कैसे काम करता है, और इसे नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, यह समझकर वाहन मालिक या चालक खुद को गंभीर वित्तीय और कानूनी नतीजों से बचा सकते हैं।

थर्ड पार्टी बीमा क्या है?

जैसा कि नाम से पता चलता है, थर्ड पार्टी का मतलब कोई भी व्यक्ति, गाड़ी या प्रॉपर्टी, जिसे आपकी गाड़ी से हुए एक्सीडेंट में चोट या नुकसान होता है। थर्ड-पार्टी बीमा पॉलिसी में समझौता आपके (फर्स्ट पार्टी) और बीमा कंपनी (सेकंड पार्टी) के बीच होता है, जिसके तहत बीमा कंपनी एक्सीडेंट से प्रभावित थर्ड पार्टी को हुए नुकसान या क्लेम का मुआवजा देती है।

इसको आगे स्पष्ट करते हुए निहारिका सिंह, एक्सेक्यूटिव डायरेक्टर - मार्केटिंग, इफको टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कहा, थर्ड पार्टी का मतलब है गाड़ी का मालिक या ड्राइवर के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति जैसे पैदल चलने वाले लोग, दूसरी कार में बैठे लोग, या दूसरे दोपहिया पर सवार लोग।

उन्होंने आगे बताया कि थर्ड-पार्टी पॉलिसी में बीमित गाड़ी को हुए नुकसान को कवर नहीं किया जाता, बल्कि यह पूरी तरह से प्रभावित थर्ड पार्टी को मुआवजा देने पर फोकस करती है।

इसमें इलाज खर्च, कोर्ट द्वारा दिया गया मुआवजा और क्लेम का बचाव करने में होने वाला कानूनी खर्च शामिल है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की ऊंची दर को देखते हुए थर्ड-पार्टी बीमा यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है कि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर वित्तीय सहायता मिले।

थर्ड पार्टी बीमा करवाना क्यों अनिवार्य है?

थर्ड-पार्टी मोटर बीमा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक अनिवार्य कवर है। सिंह ने बताया कि यह वाहन मालिकों को बीमित वाहन से जुड़े किसी दुर्घटना के कारण किसी तीसरे पक्ष को चोट, मृत्यु या संपत्ति के नुकसान से होने वाली कानूनी और वित्तीय देनदारियों से बचाता है।

उन्होंने आगे कहा, ₹थर्ड-पार्टी बीमा को अनिवार्य बनाकर सरकार का लक्ष्य दुर्घटना पीड़ितों के लिए वित्तीय सुरक्षा

दोपहिया थर्ड पार्टी बीमा (सालाना प्रीमियम):
* 75 सीसी तक – लगभग रु. 538
* 75 सीसी से 150 सीसी – लगभग रु. 714
* 150 सीसी से 350 सीसी – लगभग रु. 1,366
* 350 सीसी से ऊपर – लगभग रु. 2,804

चारपहिया थर्ड पार्टी बीमा (सालाना प्रीमियम):
* 1000 सीसी तक की प्राइवेट कार – लगभग रु. 2,094
* 1000 सीसी से 1500 सीसी – लगभग रु. 3,416
* 1500 सीसी से ऊपर – लगभग रु. 7,897

सुनिश्चित करना, जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना और वाहन मालिकों के बीच जवाबदेही बनाए रखना है।

सिंह का यह भी मानना है कि थर्ड-पार्टी बीमा व्यक्तिगत सुरक्षा से परे एक बड़े सामाजिक उद्देश्य को पूरा करती है। उन्होंने कहा, सड़क दुर्घटनाओं से अक्सर गंभीर चोटें, जान का नुकसान और पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए लंबे समय तक वित्तीय कठिनाई होती है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि गलती करने वाले ड्राइवर की वित्तीय क्षमता की परवाह किए बिना मुआवजा उपलब्ध हो।

थर्ड-पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए भारी जुमार्ना, कारावास और यहां तक कि वाहन जब्त भी किया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमा न होने पर वाहन मालिक मुआवजे के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो जाता है, जो गंभीर मामलों में कई लाख या यहां तक कि करोड़ों रुपये तक हो सकता है।

दोपहिया या चारपहिया वाहन के लिए थर्ड-पार्टी बीमा का खर्च कितना होता है?

थर्ड पार्टी मोटर बीमा के लिए बेस प्रीमियम मोटर वाहन अधिनियम और मोटर थर्ड पार्टी बीमा नियमों के अंतर्गत मानकीकृत और रेगुलेटेड होते हैं। ये सभी बीमा कंपनियों पर बेसिक थर्ड-पार्टी कवर के लिए लागू होते हैं, जो सड़क पर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी जरूरत है।

ये असीमित लायबिलिटी थर्ड-पार्टी कवर के लिए बेस वैधानिक प्रीमियम हैं, जो बीमित वाहन से किसी थर्ड पार्टी को चोट, मृत्यु या संपत्ति के नुकसान के लिए कानूनी मुआवजे को कवर करते हैं।

ह ध्यान रखना जरूरी है कि यह थर्ड पार्टी कवर के लिए न्यूनतम वैधानिक लागत है।

सिंह ने आगे बताया, यदि वाहन मालिक कॉम्प्रिहेंसिव पालिसी लेते हैं, जिसमें कि थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन साथ स्वयं के नुकसान कवर होते हैं, तो कुल प्रीमियम अधिक होगा, क्योंकि इसमें वैधानिक जरूरतों से परे अतिरिक्त कवरेज होती है।

लॉन्ग-टर्म पॉलिसी

बीमा कंपनियां लॉन्ग-टर्म थर्ड-पार्टी पॉलिसी भी देती हैं जैसे, नई कारों के लिए तीन साल का कवर और नए दोपहिया के लिए पांच साल का कवर, जो आमतौर पर विस्तृत कवर के साथ या उससे अलग मिलती हैं। ये लॉन्ग-टर्म कवर कई सालों तक रेगुलेटरी कम्प्लायंस और लागत स्थिरता प्रदान करते हैं, अक्सर एक ऐसी कुल लागत पर जो हर साल सालाना पॉलिसी रिन्यू करने से कम होती है। खरीदने से पहले हमेशा नियम एवं शर्तों और लाभ जरूर देखें, ताकि यह पक्का हो सके कि कवरेज आपकी जोखिम की जरूरतों से मेल खाती है।

तारा बी–868, एम/एस, साईं प्रिंटिंग प्रेस, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096 से मुद्रित और आई–162, प्रथम तल, सेक्टर–4, औद्योगिक क्षेत्र बवाना, नई दिल्ली–110039 से प्रकाशित

Publication:	Amrit India	Edition:	Print
Published Date:	January 30th 2025		

थर्ड पार्टी बीमा के बिना ड्राइविंग? ट्रैफिक पुलिस चालान से भी बड़े झटके के लिए रहे तैयार!

नई दिल्ली। अगर आप थर्ड-पार्टी बीमा के बिना सड़क पर अपना वाहन चलाते हैं, तो आपको अपने वाहन की मरम्मत के बिल से कहीं ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। दुर्घटना होने पर आपको किसी दूसरे व्यक्ति, वाहन या प्रॉपर्टी को हुई चोट, जानमाल के नुकसान या क्षति के लिए भी आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और इन खर्चों का बिल लाखों या करोड़ों तक जा सकता है! किसी भी वाहन मालिक के लिए दुर्घटना अप्रत्याशित खर्च ला सकती है, जैसे कि वाहन की मरम्मत, इलाज का खर्च, या दोनों। अगर आपके पास बीमा नहीं है, तो ये खर्च तब काफी लगते हैं, जब पूरा आर्थिक बोझ आप पर आ जाता है। अगर आपके पास थर्ड-पार्टी बीमा भी नहीं है, तो स्थिति और खराब हो जाती है। ऐसे मामलों में प्रभावित थर्ड पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी मुआवजा, खासकर अगर दुर्घटना आपकी गलती से हुई है, तो आपको अपनी जेब से देना होगा, वो भी अक्सर लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद। मोटर बीमा पॉलिसी दो तरह की होती हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो आपके अपने वाहन के नुकसान और थर्ड-पार्टी देनदारियों दोनों को कवर करती है। दूसरी है थर्ड-पार्टी बीमा, जो खास तौर पर आपके वाहन से दूसरों को हुई चोट, मौत या प्रॉपर्टी के नुकसान से होने वाले क्लेम को कवर करती है। जहां कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वैकल्पिक है, वहीं भारतीय कानून के तहत सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने से पहले थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है। इस कानूनी आवश्यकता के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिकों अभी भी बीमा नहीं कराया है। भारत में 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी साधारण बीमा कंपनियों को मोटर बीमा पर जागरूकता और संपर्क प्रयासों को तेज करने की सलाह दी है।

Publication:	ANI	Edition:	Online
Published Date:	January 30th 2026		

Driving without Third-party Insurance Can Cost You More than Just Traffic Police Challan

https://www.aninews.in/news/business/driving-without-third-party-insurance-can-cost-you-more-than-just-traffic-police-challan20260130140126/